न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार ....इन्द्रगढ़...... (बून्दी)

सरकार बनाम ......मोरपाल s/o कुकरा जाति गुर्जर निवासी मारखीड़ा

निर्णय

मु.नं.......28/2018.......तारीख रजू.......15-1-2018.......तारीख निर्णय.......29/11/2018.......
आज पत्रावली व मुकाम ....अटल सेवा केन्द्र मारखीड़ा....... पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/~~नहीं~~ है। रिपोर्ट पटवारी ~~गांव~~ ....मारखीड़ा....... प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री ....मोरपाल....... पुत्र श्री ....कुकरा....... जाति ....गुर्जर....... निवासी ....मारखीड़ा....... द्वारा आराजी खसरा नं. ....585.......रकबा.......0.20....... किस्म जमीन.......बा०.......मौजा.......मारखीड़ा.......पर संवत 20.......74.......में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामील मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम कीं धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री ....मोरपाल.......को आराजी खसरा नं.......585.......रकबा.......0.20....... मौजा.......मारखीड़ा.......से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर.......7.00.......से उक्त रकबा लगान.......1.40.......का ....50.......गुना में शास्ति.......70.......कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

दिनांक.......29/11/2018

नायब तहसीलदार.

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील इन्द्रगढ़